



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 28.11.2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 322/25 धारा 303(2) बीएनएस, मु०अ०सं० 325/25 धारा 303(2) बीएनएस, थाना बालैनी के मु०अ०सं० 156/25 धारा 303(2) बीएनएस व सोनीपत हरियाणा की चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से ट्यूबवैल से चोरी किया हुआ सामान, घटना कारित करने में प्रयुक्त उपकरण व एक रेहड़ा तथा दो अवैध चाकू बरामद ।

#### संक्षिप्त विवरण:-

1-दिनांक 23.11.2025 को थाना खेकड़ा पर वादी भुल्लन सिंह पुत्र बनारसी निवासी ग्राम सिंगौली तगा थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात द्वारा राजकीय नलकूप संख्या 100 LG से 4 मीटर कॉपर केबिल, मैन स्विच बॉक्स व स्टार्टर का



सामान चोरी कर लिया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु०अ०सं० 322/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

2-दिनांक 27.11.2025 को थाना खेकड़ा पर वादी सुन्दर धामा पुत्र चन्द्रपाल सिंह धामा निवासी पट्टी रामपुर कस्बा खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसकी व उसके पड़ोसियों के नलकूप से केवल, स्टार्टर, कटाउट का सामान चोरी कर लिया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु०अ०सं० 325/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 322/25 धारा 303(2) बीएनएस, मु०अ०सं० 325/25 धारा 303(2) बीएनएस, थाना बालैनी के मु०अ०सं० 156/25 धारा 303(2) बीएनएस व सोनीपत हरियाणा की चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से ट्यूबवैल से चोरी किया हुआ सामान, घटना में प्रयुक्त उपकरण व एक रेहड़ा तथा दो अवैध चाकू बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शाकिब उर्फ तोता पुत्र यामीन उर्फ पप्पन निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत हाल पता कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-कम्मो उर्फ कामरान पुत्र महमूद निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3-सावेज पुत्र शान मौहम्मद उर्फ शहजाद निवासी कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 4-आरिफ पुत्र इस्लाम निवासी कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 5-शोएब उर्फ चुन्नू पुत्र अय्यूब निवासी काशीराम कॉलोनी कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

### अभियुक्त शाकिब उर्फ तोता पुत्र यामीन उर्फ पप्पन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु०अ०सं० 179/25 धारा 323 भादवि व 3/4 मुस्लिम महिला अधिनियम थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

### अभियुक्त सावेज पुत्र शान मौहम्मद उर्फ शहजाद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु०अ०सं० 442/25 धारा 115(2)/118(1)/351/352 बीएनएस थाना बड़ौत जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ 32 अदद ताँबे की गुच्छी, 03 चेंज लीवर के कवर, करीब 30 मीटर केबल एल्युमीनियम, 01 कम्प्रेसर, 01 लोहे का चकोर फ्रेम, 01 सबमर्सिबल मोटर
- घटना में प्रयुक्त 02 आरी लोहे की व 06 ब्लेड, 01 प्लास, 01 बायर कटर, 01 पेचकस, 01 चाबी पाना, एक मोटरसाईकिल का बना रेहड़ा ।
- दो अवैध चाकू ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 440 राशिद खान थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 489 सुनील कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 6-का0 84 मोहित कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 7-का0 911 श्यामवीर सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 8-का0 247 निशान्त शर्मा थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 9-का0 893 राहुल शर्मा थाना खेकडा जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 28.11.2025

थाना रमाला पुलिस ने एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है । इस सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 317/2025 धारा 4/10 गुण्डा एक्ट व 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोईन पुत्र तैर्यब निवासी ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 180/20 धारा 272/273/429 भादवि 11(1)e/3 पशु क्रूरता अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 186/22 धारा 307 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 187/22 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 188/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 116/24 धारा 307/323/506 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 317/25 धारा 4/10 गुण्डा अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्वोई थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 478 अजीत कुन्तल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-का0 607 कपिल देव थाना रमाला जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 28.11.2025

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 384/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कमर पुत्र अनवार निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री राहुल यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 354 नीलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 481 गुरदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 28.11.2025

## बागपत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-गुलरेज पुत्र रिजवान निवासी निकट गांगलहैड़ी थाना गांगलहैड़ी जनपद सहारनपुर ।
- 2-नइयूम पुत्र आफताब कुरेशी निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

- 3-राहुल पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना कोतवाली पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 2-थाना खेकड़ा पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 3-थाना बिनौली पुलिस टीम । ( 01 वारंटी )

